an>

Title: Motion for consideration of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill, 2018 as passed by Rajya Sabha (Bill Passed).

HON. SPEAKER: Let the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities (Amendment) Bill be taken up now. It is a very small Bill. So, if the House agrees, we will take up Item No.26.

Now, Mr. Minister.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): मैं प्रस्ताव करता हूं:-

"कि राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-नि:शक्तताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम, 1999 का संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

माननीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय न्यास नामक संस्थान राष्ट्रीय स्वपरायणता, प्रमस्तिष्क घात, मानसिक मंदता और बहु-निशक्ताग्रस्त व्यक्ति कल्याण न्यास अधिनियम 1999 में बना था। …(व्यवधान) इसमें धारा 4 और 5 में ऐसा प्रावधान हो गया था जिसके कारण अगर इसका कोई एक बार अध्यक्ष बन जाता है तो लंबे वर्षों तक बना रहता है जबकि अधिनियम में प्रावधान है कि तीन साल की अवधि के लिए बनेगा।

परन्तु शर्त ऐसी थी कि उसका उत्तराधिकारी होने तक वह बना रहेगा।…(व्यवधान)भले ही वह त्याग-पत्र दे दे और शासन उस त्याग-पत्र को स्वीकार कर ले फिर भी वह बना रहेगा, जब तक उत्तराधिकरी का चयन नहीं हो जाता है। तत्कालीन यू.पी.ए. सरकार में वर्ष 2006 में एक सदस्य की नियुक्ति हुई थी उनका कार्यकाल वर्ष 2009 में पूरा हो जाने के बाद भी उसको पदमुक्त नहीं कर सके थे ।…(व्यवधान) वर्ष 2012 एवं 2013 में विज्ञप्ति जारी की गई, पर वे उपयुक्त व्यक्ति का चयन नहीं कर पाए। …(व्यवधान) क्योंकि उसके चयन की जो शर्तें थीं, वे बहुत कठोर थीं और उन कठोर शर्तों के कारण वे चयन नहीं कर पाए। …(व्यवधान) फिर वर्तमान सरकार नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में हमने वर्ष 2015 एवं 2016 में प्रयास किया, परन्तु उन शर्त्तों को पूरा करने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिला।…(व्यवधान) इस कारण हम यह नहीं कर पाए। हमने दो छोटे-छोटे संशोधन प्रस्तुत किए हैं। धारा-4 में, उसकी अवधि तीन साल की होगी और

यदि वह त्याग-पत्र दे देगा, जब सरकार उसको स्वीकृत कर लेगी तब से वह पदमुक्त हो जाएगा। …(व्यवधान) उसकी पदमुक्ति के पहले अगर तीन साल की कार्य अवधि पूरी हो रही है तो ढाई साल में ही उसके उत्तराधिकारी के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी और छः महीने के अंदर नये उत्तराधिकारी का चयन कर लिया जाएगा और उसको मुक्त कर दिया जाएगा। … (व्यवधान) अगर वह त्याग-पत्र दे देता है और भारत सरकार उसको स्वीकृत कर लेती है तब भी किसी व्यक्ति को टाइम बींग रिक्ति की पूर्ति के लिए चयन कर सकेंगे और व्यक्ति भी उसी दायरे में आने वाला व्यक्ति हो। …(व्यवधान) हमने इसमें दो संशोधन करने का निर्णय लिया है। इसमें एक और प्रावधान यह है कि 65 वर्ष से अधिक उम्र का कोई भी व्यक्ति इसके अध्यक्ष पद पर नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति आवेदन करेगा तो उसकी 62 वर्ष की अवधि होनी चाहिए ताकि 65 वर्ष में तीन साल तक वह रह सके। इसमें ये तीन छोटे-छोटे संशोधन हैं।…(व्यवधान) अगर यह संशोधन हो जाएगा तो हम नेशनल ट्रस्ट के अध्यक्ष का चयन कर सकेंगे और यह न्यास सुचारु रूप से दिव्यांगजनों के हित में काम कर सकेगा। मेरा यही निवेदन है कि इस विधेयक को पारित किया जाए।…(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Motion moved:

"That the Bill to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Shrimati Supriya Sule.

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Madam, autism is something which is really affecting a section of children in the country today. There is very less awareness in society as well as in educational circles. … (*Interruptions*)

In the right to education we have got autism to include children which will definitely help. But I request the hon. Minister to make sure that the Chairman and the Committee consist of people who work in the field autism and not just for people. There are a lot of technical experts in this country. So, please make sure that they are included in this. Thank you, Madam. … (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill to amend the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral Palsy, Mental Retardation and Multiple Disabilities Act, 1999, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

The motion was adopted.

HON. SPEAKER: Now, the House will take up Clause- by –clause consideration.

Clauses 2 and 3

HON. SPEAKER: The question is:

"That clauses 2 and 3 stand part of the Bill."

The motion was adopted.

Clauses 2 and 3 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Long Title were added to the Bill.

श्री थावर चंद गहलोत : मैं प्रस्ताव करता हूं;

"कि विधेयक पारित किया जाए "

HON. SPEAKER: The question is:

"That the Bill be passed."

The motion was adopted.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: Now, please go to your seats.

… (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet on Friday, the 21st December, 2018 at 11.00 a.m.

15 25 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Friday,

December 21, 2018/Agrahayana 30, 1940 (Saka).

---

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.